न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 06/2021

प्रार्थी :
प्रेमसिंह सोलंकी पुत्र सुखदेव सोलंकी
जातियान माली निवासीगण ग्राम
जालीवाड़ा कलां तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :
राजस्थान सरकार जरीये
तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री राजेन्द्र देवड़ा प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम जालीवाड़ा कलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 127/21 रकबा 0.3721 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुई है। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मय नक्शा संलग्न पेश है। पीपाड़ शहर से मेडता जाने वाली मुख्य डामर सडक व प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 127/21 के मध्य खसरा नं. 127/1 गै.मु. मगरा की जमीन आयी हुई है जो राजस्व रेकार्ड मे राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। पीपाड़ शहर से मेडता जाने वाली मुख्य डामर सडक से गै.मु. मगरा ख.नं. 127/1 से प्रार्थी के खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 127/21 तक सबसे निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है जिसको संलग्न नजरी नक्शा मे मार्क ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है। जिस रास्ता को आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त रास्ता से सम्बोधित किया जायेगा। संलग्न नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 127/21 मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है। पीपाड़ शहर से बोरून्दा मेडता जाने वाली डामर सडक से प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 127/21 के मध्य ख.नं. 127/1 गै.मु. मगरा की जमीन है जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाया वादग्रस्त रास्ता सुविधाजनक व निकटतम रास्ता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से पीपाड़ शहर से मेडता जाने वाली डामर सडक से वादग्रस्त रास्ता मार्क एबीसीडी ख.नं. 127/1 मे से प्रार्थी के खेत ख.नं. 127/21 तक राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने साफ तौर पर मना कर दिया इस पर प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त कर अप्रार्थी से वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे

अधिकारी
शहर (जोधपुर)

रास्ता दर्ज करने बाबत दिनांक 05.01.2021 को निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने उक्त रास्ता बाबत श्रीमान न्यायालय हाजा से ही रास्ता घोषित करवाने बाबत कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित कर राजस्व रेकार्ड मे रास्ता की तरमीम करवाने हेतु प्रस्तुत करना पड रहा है। पीपाड़ शहर से मेडता जाने वाली मुख्य डामर सडक से प्रार्थी के खातेदारी कब्जासुद खेत ख.नं. 127/21 तक वादग्रस्त रास्ता सबसे सुविधाजनक व निकटतम रास्ता है इसलिए वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता घोषित फरमाने हेतु प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः प्रार्थन पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि पीपाड़ शहर से मेडता जाने वाली मुख्य डामर सडक से ख.नं. 127/1 मे से संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाये अनुसार वादग्रस्त रास्ता मार्क एबीसीडी प्रार्थी के खेत ख.नं. 127/21 तक रास्ता घोषित फरमाया जाने का आदेश फरमावे। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक मे अता फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम जालीवाड़ा कलां के खसरा नम्बर 127/21 रकबा 0.3721 हैक्टयर (2.06 बीघा) में से आने जाने हेतु रास्ते की मांग की है अतः वाछित रास्ता A से N तक 190 X 3 गट्टा/570 = 1.08.10 बीघा वांछित रास्ता जो सरकारी भूमि खसरा नम्बर 127 गै.मु.मगरा में से दिया जाना प्रस्तावित है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 11.02.2021 का अवलोकन करने पर पाया कि अब प्रार्थी के खेत ग्राम जालीवाड़ा कलां के खसरा नम्बर 127/21 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 127 कस्म गै.मु.मगरा में आने जाने हेतु मार्क A से N 1.08.10 बीघा अर्थात 0.2308 हैक्टयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है ।

अतः राजस्व ग्राम जालीवाड़ा कलां के खसरा नम्बर 127/21 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 127 में से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 11.02.2021 लाल स्याही से दर्शाये मार्क A से N कुल क्षैत्रफल 1.08.10 बीघा अर्थात 0.2308 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी मालियत राशि रूपये 30840/– रूपये बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 61680/– रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 61680/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष अप्रार्थी को अदा करने हेतु जमा करावें ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 61680/– रूपये का चैक/डी.डी. प्राप्त कर अप्रार्थीगण/राजकोष को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 11.02.2021 व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर